<u>न्यायालय सिविल जज।जू.डि.। मवाना, मेरठ।</u>

पीठासीन श्री अरूण कुमार राणा उ.प्र.न्यायिक सेवा

जे.ओ. कोड यू.पी. 3660

सीएनआर न.यू.पी.एम ई 1200..

इजराय वाद स. 01/ 2019

श्रीमती रमनदीप कौर बनाम ब्रहमदेश

<u>दिनांकः– 28.03.2023</u>ः–

पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार पर कोई उपस्थित नही । पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पक्षकार पूर्व की तिथियो पर भी अनुपस्थित है जबकि पूर्व मे डिक्रीदार को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः इजराय वाद डिक्रीदार की अनुपस्थिति व अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अरूण कुमार राणा)
जे.ओ.कोड यू.पी.3660
सिविल जज।जू.डि.।
मवाना, मेरठ।

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय लखनऊ</u>

राज्य बनाम रविन्द्र आदि
वाद सं0:–32/2018
धाराः– 452,506,323, भा0द0सं0
थानाः–अलीगंज

<u>दिनांकः– 11.12.2020</u>:–

प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–32/2018, अन्तर्गत धारा– 452,506,323, भा0द0सं0 थाना अलीगंज जिला लखनऊ के प्रकरण में वारंट निरस्त हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और उसके उपरान्त अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है प्रार्थी पूर्व में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में आता रहा है। प्रार्थी को आवश्यक कार्य से कोलकाता जाना पडा। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता को सूचना दी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की हाजरी माफी ना दिये जाने पर प्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट कर दिये गये । प्रार्थी ने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी द्वारा वारंट निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त लगातार गैर हाजिर रहा है और उसके द्वारा कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ जिस कारण अभियुक्त के विरूद्व गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारण्ट पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के विरूद्व जारी किया गया वारण्ट निष्पादित हो गया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र मे वर्णित आधार पर्याप्त नही है जिस कारण अभियुक्त का वांरट निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र निष्फल है। अतः अभियुक्त का वारंट निरस्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–32/2018, अन्तर्गत धारा– 452,506,323, भा0द0सं0 थाना अलीगंज जिला लखनऊ के प्रकरण में वारंट निरस्त हेतु प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। अभियुक्त रविन्द्र की न्यायिक अभिरक्षा हेतु धारा 309 दं0प्र0सं0 का वारण्ट जारी किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
द्वितीय लखनऊ